



कातिलाना हमला करने वाले आरोपित को जंगल से पकड़ा

कटनी। चाकू से कातिलाना हमला करने वाले आरोपित को बिलहरी चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 25 मई को फरियादी द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो ग्राम बड़खेरा में अपने खेत से घर आ रहा था तभी रास्ते में प्रहलाद पटेल उर्फ पला उसे गाली देने लगा जब उसने गाली देने से मना किया तो उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से उसके पेट में छुरे से वार कर दिया तब फरियादी ने बचाव किया तो उसके जांच में छुरे से चोट पहुंची तब आरोपी द्वारा दुबारा उस पर वार किया तब राजेंद्र व संदीप पटेल ने फरियादी को बचाया तब आरोपी प्रहलाद उर्फ पला वहां से ये कहते हुए फरार हो गया कि आज तो बच गया अगली बार मिलेगा तो जान से खतम कर दूंगा। पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई जो रात में अंधेरे का फायदा उठाकर बड़खेरा से कनकी जंगल की तरफ भाग गया था जिसकी पुलिस द्वारा देर रात तक लगातार तलाश की गई जो ग्राम बड़खेरा के जंगल में काफी मशकत और प्रयास करने के बाद दस्तयाब हुआ जिसे पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की और घटना में प्रयुक्त छुरा जप्त किया है जिसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। कार्यवाही में चौकी प्रभारी बिलहरी उप निरीक्षक सुयश पाण्डेय, प्र.आर.व्यास गुप्ता, भारत विश्वकर्मा,संतोष प्रजापति,आर. सौरभ जैन,लव उपाध्याय,दिल्लेक्षर सिंह,संदीप भलावी,विकास,सैनिक धनंजय त्रिपाठी का योगदान रहा।

जगन्नाथ स्वामी मंदिर परिसर में भागवत कथा कल से कटनी।

दक्षिणमुखी बड़े हनुमान मंदिर कमानिया गेट के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानयज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के बडआ महाराज ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर परिसर में 27 मई से 06 जून तक चलने वाले श्रीमद् भागवत पुराण कथा के भव्य कार्यक्रम के तहत भगवान श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं एवं चित्रण पर आधारित ज्ञान कथाओं का प्रसिद्ध कथा व्यास देवी श्रीकृष्ण बल्लभा वृंदावनधाम की मधुर वाणी के द्वारा सुंदर वाचन किया जावेगा। 27 मई को सांयकाल 6.00 बजे हनुमान मंदिर कमानिया गेट से एक विशाल भव्य कलश यात्रा निकाली जावेगी जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुये जगन्नाथ चैक स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ समापन होगा इसके तत्पश्चात भागवत कथा का वाचन प्रारंभ होगा। इस महापुरण कथा को श्रवण करने हेतु मंदिर के पुजारी आनंद महाराज एवं जगन्नाथ मंदिर कमेटी ने शहर के धर्मप्रियजनों से आयोजन स्थल पर पहुंचकर कथा का श्रवण करने अपील की है।

यातायात व सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कटनी। ईद-उल-अजहा पर्व को लेकर पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर यातायात, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा ईतजामों का जायजा लिया। यातायात प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर एवं रंगनाथनगर थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरुण पाल सिंह ने ईदगाह से लेकर चांडक चौक, मिशन चौक, सागर पुलिया, कब्रिस्तान मार्ग एवं कबला क्षेत्र तक भ्रमण कर यातायात संचालन, पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने संबंधित मार्गों पर सुगम यातायात बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने एवं पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं।

कटनी भूमि

गांव गांव चल रहा मादक पदार्थों का अवैध कारोबार, संरक्षण देने के आरोप एसपी की चौखट तक पहुंच रही गांजा सहित अवैध शराब बेचने की शिकायत

जिले में नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिये पुलिस कप्तान के निर्देश पर भले ही विशेष अभियान चलाने के दावे एवं कार्यवाही की बात की जा रही है जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। थाना क्षेत्रों में शराब एवं गांजा की अवैध बिक्री से परेशान ग्रामीण एसपी की चौखट तक शिकायत लेकर पहुंचने को विवश हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने के आरोप भी पुलिस पर ही लगा रहे हैं।

मंगलवार को रीठी थाना क्षेत्र के इमलाज और बांधा गांवों के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग की सूस्त कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखित शिकायत सौंपी और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि इमलाज और बांधा गांवों में अवैध शराब और गांजे को धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में पुलिस नहीं पहुंच पा रही है।

मंगलवार को रीठी थाना क्षेत्र के इमलाज और बांधा गांवों के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग की सूस्त कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखित शिकायत सौंपी और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि इमलाज और बांधा गांवों में अवैध शराब और गांजे को धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में पुलिस नहीं पहुंच पा रही है।

हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खुलेआम बिक रहे नशे के कारण नाबालिग बच्चे और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। नशेडियों के जमावड़े से गांव का माहौल खराब हो गया है, जिससे महिलाओं और बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने रीठी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस गश्ती दल गांव में आता है, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं ठिकानों पर बैठकर



सैकड़ों आदिवासियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच बताई अपनी पीड़ा

हरिभूमि न्यूज ►► कटनी

विजयराघवगढ़ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में मंगलवार को बाणसागर परियोजना के विस्थापित सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने शासकीय जमीन पर मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें इस जमीन से बेदखल किया गया, तो उनके पास जीवन समाप्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इन परिवारों को वर्ष 1996 में बाणसागर परियोजना के कारण विस्थापित होना पड़ा था। ग्राम डोली, पोड़ी, आमा, कोल, नवास्ता, करहा, इटोरा और इटमा सहित कई गांवों के निवासी पुनर्वास की उचित व्यवस्था न होने के कारण पिछले 30 वर्षों से तालाब के



किनारों पर झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर हैं। हर साल बारिश के मौसम में बाणसागर तालाब का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी इनके आशियानों को उजाड़ देता है। जान-माल के लगातार होते नुकसान और प्रशासन की बेरुखी से तंग आकर अब इन परिवारों ने एकजुट होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई शुरू की है। जीवन बचाने के लिए इन विस्थापित परिवारों ने अपने परिवारों के साथ यहीं गुजर-बसर कर रहे हैं। हालांकि, तकनीकी और कानूनी रूप से इसे अतिक्रमण माना जा रहा है, जिसके कारण प्रशासन द्वारा इन्हें बेदखल किए जाने का डर लगातार सता रहा है। ग्रामीण जुर्माना और कानूनी पेशी भुगतने को भी तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। शासन-प्रशासन चाहे तो हम

पर कानूनी तौर से जुर्माना लगाए या कोर्ट की पेशी तय करे, हम हर कानूनी प्रक्रिया और जुर्माना भरने को तैयार हैं लेकिन हमसे हमारा यह आखिरी सहारा न छीना जाए। विस्थापितो शासन के सामने मांग रखी है कि ग्राम चौरा, कनेरा और पिपरा की इस शासकीय भूमि को तत्काल 'आबादी की जमीन' घोषित किया जाए, मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत सभी विस्थापित परिवारों को भूमि के पट्टे दिए जाएं, इस क्षेत्र में तुरंत बिजली, पानी की व्यवस्था की जाए और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत पक्के मकान स्वीकृत किए जाएं, प्रशासन एक विशेष टीम गठित कर विस्थापित परिवारों की स्थिति का सर्वे करे, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि इन परिवारों के पास गुजर-बसर के लिए कोई अन्य भूमि नहीं है।

जन सुनवाई में पहुंचे 167 आवेदकों ने अधिकारियों को बताई अपनी समस्याएं

हरिभूमि न्यूज ►► कटनी

कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष तिवारी ने यहां पहुंचे 167 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम चरगमा निवासी अजय सेन ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिता धानू सेन के नाम दर्ज खसरा नंबर 17 (रकबा 0.15 हेक्टेयर) की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है। साथ ही शेष भूमि पर बिना मुआवजे के सीसी रोड का निर्माण कर दिया गया है। जिस पर कलेक्टर श्री तिवारी ने तहसीलदार स्लीमनाबाद और भू-

शासकीय भूमि पर किये गये 19 अतिक्रमण को हटाया



स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम पहरुआ स्थित शासकीय भूमि पर अलग-अलग प्रकार से 19 अतिक्रमणकारियों के कब्जे से शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के भूमि खाली करने का आदेश पारित किया गया। ग्राम पहरुआ स्थित भूमि खसरा नम्बर 141, 84, 142, 141, 227, 234/1, 227, 233, 222, 231, 214, 641, 219, 226, 228, और खसरा नम्बर 222 की शासकीय भूमि पर क्रमशः शंकरपुरी, जगत पटेल, बाबूलाल, यदुनंदन, दामोदर, लक्ष्मण और अरविंद पटेल, प्रदीप, सुरेन्द्र, निर्भय सिंह, प्रमोद सिंह, रामकुमार, ब्रजकिशोर, राममिलन बर्मन, तथा मरौ बाई, प्रकाशपुरी, प्रतापपुरी, मेठू, संदीप, विजय बर्मन और गोविंद द्वारा किये गये अवैध कब्जे से जेसीबी मशीन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाकर बेदखल कर दिया गया।

जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाने तो किसी ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत



अभिलेख शाखा को प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम कटनी निवासी औषधेक कुमार दुबे ने शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की मांग रखी। उन्होंने बताया कि उनके पिता पीएमश्री स्कूल बाकल

काई में जन्मतिथि सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गलत जन्मतिथि के कारण उसकी पढ़ाई और अन्य दस्तावेजी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिस पर कलेक्टर श्री तिवारी ने ई-गवर्नेंस विभाग को तत्काल सुधार की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम बड़खेरा की बुजुर्ग महिला धोखियाबाई ने वृद्धावस्था पेंशन फिर से शुरू करवाने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि मुझे विगत 8 माह से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। इस पर कलेक्टर श्री तिवारी ने जनपद पंचायत रीठी के सीईओ को पात्रता अनुसार लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

कोडीन युवत कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती, बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगी दवा

हरिभूमि न्यूज ►► कटनी

जिले में कोडीन युक्त कफ सिरप और नार्कोटिक्स औषधियों के बढ़ते दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन दवाओं की थोक और खुदरा बिक्री के लिए मासिक सीमा तय कर दी है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि कोई भी रिटेल दवा विक्रेता बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के कोडीन या नार्कोटिक्स युक्त दवाएं नहीं बेचेगा।इग इस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि निर्देशों के मुताबिक अब सीएंडएफ से थोक विक्रेता प्रति पैक साइज अधिकतम 1000 बोतल ही प्राप्त कर सकेंगे। वहीं थोक विक्रेता से फुटकर दवा विक्रेता एक माह में अधिकतम 50 बोतल तक

ही खरीद और बिक्री कर सकेंगे। यदि कोई विक्रेता या व्यक्ति तय सीमा से अधिक मात्रा में कोडीन युक्त दवाओं की खरीद-बिक्री करता है, तो इसकी जानकारी तुरंत औषधि निरीक्षक कटनी को ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से देना अनिवार्य किया गया है। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी रिटेल दवा विक्रेता बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के कोडीन या नार्कोटिक्स युक्त दवाएं नहीं बेचेगा। दवा देने के बाद संबंधित पर्चे पर मेडिकल स्टोर की सील, हस्ताक्षर और तारीख अंकित करना भी अनिवार्य होगा, ताकि एक ही पर्चे का बार-बार उपयोग रोक जा सके। खाद्य एवं औषधि प्रशासन

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उद्देश्य आवश्यक दवाओं की बिक्री रोकना नहीं, बल्कि इनके जरिए हो रहे नशे के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखना है। औषधि निरीक्षक ने केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे सभी दवा विक्रेताओं से नियमों का सख्ती से पालन करावें। इसके अलावा इग इस्पेक्टर गंभीर दर्द निवारक और खांसी की दवा के रूप में किया जाता है। कोडीन 'शेड्यूल एच' की श्रेणी में आती है। इसे बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के बेचना या खरीदना पूरी तरह से गैर -कानूनी और दंडनीय है।

खबर संक्षेप

गीष्मकालीन पेयजल नियंत्रण कक्ष की स्थापना
 दमोह। मध्यअप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्परनी (एमपीयूडीसी) द्वारा दमोह जिले के हटा व पटेरा नगर में गीष्मकाल के दौरान पेयजल समस्याओं के त्वगरित समाधान हेतु एक समर्पित गीष्मकालीन पेयजल निवारण नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। एमपीयूडीसी के परियोजना प्रबंधक पी. डी. तिवारी ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटे कार्यरत रहेगा तथा नागरिकों की पेयजल संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य गर्मी के मौसम में नागरिकों को निबंध पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना एवं किसी भी प्रकार की जल आपूर्ति समस्या का त्वरित समाधान करना है।

ईदुजुहा पर्व पर अब 28 मई को रहेगा अवकाश पन्ना। राज्य शासन द्वारा 27 मई 2026 को ईदुजुहा के घोषित अवकाश के स्थान पर अब 28 मई, गुरुवार को निर्गोषिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। 27 मई, बुधवार को निर्धारित समयानुसार समस्त कार्यालय खुले रहेंगे।

लापरवाही का हाईवे: सकरिया-डिघौरा सड़क का निर्माण पूरा

गुनौर। कागजों पर चमचमाती और जमीन पर आधी-अधूरी सकरिया-डिघौरा सड़क अब राहगीरों के लिए, मुसीबत का सबब बन चुकी है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन जगह-जगह से उखड़ी सड़क और डिघौरा तिराहे पर पसरा ब्लैकआउट (अंधेरा) आए दिन भीषण हादसों को न्यौता दे रहा है। लोक निर्माण विभाग और जिम्मेदार ठेकेदार इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं।

बेलाताल में जल संरक्षण और संवर्धन का संकल्प दिलाया

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ दमोह
 गंगा दशमी के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर के बेलाताल में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू धर्मेद्र कटारे, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति राजू कमल ठाकुर, कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की मौजूदगी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बेलाताल में जलगंगा की आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जल संरक्षण और संवर्धन का संकल्प दिलाया गया। जलगंगा संवर्धन के तहत मुकड़ नाटक के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं । कार्यक्रम में अधिकारियों ने जल स्रोतों के

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनार नदी में सफाई कर किया दीपदान

जल है जीवन का आधार, संरक्षण में सबकी भागीदारी जरूरी: विधायक

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ हटा

जल गंगा संवर्धन अभियानर के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर नगर पालिका परिषद हटा द्वारा सोमवार को नगर की जीवनदायनी सुनार नदी के हजारी घाट पर सफाई अभियान चलाकर दीपदान किया। 25 में सोमवार की सुबह सोन नदी के हजारी घाट पर विधायक उमा देवी खटीक नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक की उपस्थिति में पार्षदों सहित नगर की समाज सेवा द्वारा श्रमदान कर साफ सफाई की गई। वहीं संध्याकालीन में सुनार मैया की आरती दीप दान कर नदी को स्वच्छ साफ बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान विधायक उमा देवी खटीक व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक नपा सीएमओ राजेंद्र खरे ने सभी के साथ मिलकर केवल औपचारिकता नहीं निभाई, बल्कि स्वयं हाथों में नदी के

गंगा दशहरा पर जल गंगा पूजनकर भव्य कलश यात्रा निकाली

दमोह। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद दमोह के मार्गदर्शन मे आज दिनांक 25/05/2026 को नवांकुर संस्था जय मां लक्ष्मी के सहयोग से ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पटेरिया, कुन्डलपुर, बिलगुवा, सगोनी उपाध्याय, बिछिया, सिंगपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत स्वच्छता साफ सफाई कर जल पूजन, कलश यात्रा एवं चूष पूजन जल स्रोत जल लेकर शंकर जी को अर्पित किया कार्यक्रम का भव्यआयोजन कर बैठक की। कार्यक्रम में ग्राम के गणमान्य नागरिक, महिलाएँ, पुरुष एवं बच्चे-बच्चियाँ बड़ी संख्या में शामिल हुए।



घाट से कचड़ा निकालकर कचरा गाड़ी में डाला एवं झाड़ू लेकर घाट के फर्श से तिनका-तिनका कचरा चुना। नदी के आंचल और किनारों पर बिखरी पुरानी फूल-मालाओं तथा विसर्जित सामग्रियों को बाल्टियों और तगाड़ियों में भरकर डस्टबिन तक पहुंचाया। इस सेवा कार्य ने घाट पर मौजूद हर श्रद्धालु

को गहराई से प्रेरित किया। इस अवसर पर विधायक श्रीमति उमादेवी खटीक ने कहा कि जल सृष्टि का आधार है और बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल ही जीवन को संतुलन और समृद्धि प्रदान करता है। यदि आज जल संरक्षण के प्रति गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली



इस अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई तथा सभी को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जल संरक्षण, जल पूजन, वृक्षारोपण एवं

हरियाली के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम मे सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य व जनपद पटेरा सीईओ, जनपद

पीढ़ियों को जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन आंदोलन बन गया है और इसके साथक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक, पार्षद कैलाश ताप्रकार, पार्षद प्रतिनिधि उमेश ताप्रकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र कुमार खरे एवं नगर पालिका परिषद हटा के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

अध्यक्ष मल्लोबाई, सांसद प्रतिनिधि गनेश पटेल, मुलाम राय, पवन राय, रामसागर तिवारी केशव मिलन समिति, भूपेंद्र चौहान, अम्बिका समिति, मुन्ना अवधिया नगर समिति व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशेष सहयोग जिला समन्वयक सुशील नामदेव, ब्लॉक समन्वयक हरीश पाण्डेय, नवांकुर अध्यक्ष मुलाम राय का सहयोग रहा। संस्था कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों, समिति सदस्यों एवं सहयोगकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। और जल सरक्षण के बारे मे समझाया व कलश यात्रा मे नारे लगाये जल ही जीवन है जल है तो कल है।

दमोह आसपास हरिभूमि 9

आदिवासी परिवार की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग, सौंपा ज्ञापन



हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ तेंदूखेड़ा

मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम के द्वारा नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी को सौंपा गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि तहसील अंतर्गत ग्राम तेंदूखेड़ा निवासी आदिवासी परिवार ने अपनी पैतृक भूमि पर कथित अवैध कब्जा एवं प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रीमती कौशलया मेमार पति जगदीश मेमार तथा धन्तोबाई पिता स्व. वालचंद साकिन, निवासी ग्राम तेंदूखेड़ा, की भूमि तहसील कार्यालय के समीप स्थित है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना उनकी भूमि पर भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। परिवार का कहना है कि संबंधित भूमि खसरा नंबर 170 में दर्ज है तथा उक्त भूमि उनके वैधानिक स्वामिन्ध में है। पीड़ितों के अनुसार, इस संबंध में कई बार प्रशासन को लिखित

शिकायतें एवं आवेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किए निर्माण कार्य को संरक्षण दिया जा रहा है। परिवार का कहना है कि उनके पास भूमि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख उपलब्ध हैं, इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मामले में एक और गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि खसरा नंबर 166, जो धन्तो बाई के पिता स्वर्गीय वालचंद के नाम दर्ज था, उसकी मृत्यु के कई वर्षों बाद भूमि की रजिस्ट्री कैसे की गई, यह जांच का विषय है। पीड़ित पक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि वर्ष 1988-89 से लेकर वर्तमान तक तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय एवं उप पंजीयक कार्यालय में भूमि से संबंधित अभिलेखों में कई बार नामांतरण एवं दस्तावेजी कार्यवाही की गई। अंतिम दान पत्र जुलाई 2023 में जारी किया गया, जिसमें भी कथित रूप से ज़ुटियां बताई जा रही हैं। परिवार ने

आरोप लगाया है कि कई बार गृहार लगाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। बताया गया है कि मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से मांग की है कि 15 दिवस में संपूर्ण प्रकरण की सूक्ष्म एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा संबंधित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोक जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए ताकि आदिवासी परिवार को न्याय मिल सके। ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से पारदर्शी जांच एवं पीड़ित परिवार को संरक्षण प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में श्रीमती कौशलया मेमार, श्रीकांत पोरते, नोनेलाल परस्ते, हेमराज सिंह ,संदीप ,भारती ,मनोष ,जमुना चरण सिंह, भरे ,सावित्री ,जयराम सहित अन्य लोग समिन्तत थे ।

286 आवेदकों ने कराया पंजीयन, 122 युवाओं का निजी क्षेत्र में चयन

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशो के तहत 26 मई को शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय दमोह में युवा संगम - रोजगार, स्वरोजगार एवं ऑरेंटेशनल मेल का आयोजन किया गया। इस युवा संगम मेले में भाग लेने हेतु ऑनलाइन 216 एवं ऑफ़लाइन 70 कुल 286 बेरोजगार आवेदको ने पंजीयन कराया। निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से 122 युवक युवतियों का चयन किया गया। जिसमें वर्धमान यार्न मंडीदीप 17, मैंन पावर ग्रुप सर्विस अहमदाबाद 12, टीएसपीएल चाकन पुणे 20, जेबीएम ग्रुप अहमदाबाद 09, चेकमेट सिक्वोरिटी सर्विस बड़ौदा 9, ग्रो फास्ट ऑर्गेनिक डायमंड जबलपुर, 12 गोल्डन फॉर्मर ऑर्गेनिक 10, भारतीय जीवन बीमा निगम दमोह 08, पुष्कल एग्रो दमोह 15, एम आई लाइफ़स्टाइल, र्लोबल मार्केटिंग 10 ने साक्षात्कार द्वारा युवक-युवतियों का चयन किया। युवा संगम में जिला उद्योग व्यापार केंद्र द्वारा 5 हितग्राहियों के लिए 50 लाख 25000 राशि का ऋण स्वीकृत किया गया। जिला अंतव्यवसाय, आदिम जाति कल्याण विभाग, पंचायत कल्याण विभाग, श्रम विभाग, लीड बैक मैनेजर इत्यादि विभागों ने उपस्थित आवेदको के लिए स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन दिया। उमंग स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की उमंग काउंसलर विधि गुप्ता ने 29 आवेदको की काउंसलिंग की।

पुलिस प्रशासन हमेशा रहता है गायब

अतिक्रमण व बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन ट्रैफिक में बन रहे बांधा तेंदूखेड़ा। बेपटरी हो चुकी यातायात व्यवस्था का सबसे बड़ा असर नगर के बाजार क्षेत्र पर पड़ रहा है। पहले जहां मुख्य मार्ग व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था तो वहीं अब वहां अतिक्रमण के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण लोग मुख्य सड़क बाजार से कम, अन्य दुकानों से सामान खरीदते हैं जाम से परेशान होकर ग्राहक के जाम से सड़क पर करने से कतराने लगे हैं। जहां एक ओर व्यापारिक प्रतिष्ठान बढ़ गए हैं तो वहीं दूसरी ओर खरकिया रोड के सक्के एवं जाम से भरपूर होने के हैं कारण लोग अब वहां खरीदारी के बजाय वैकल्पिक मार्गों पर जाने लगे दरअसल नगर परिषद द्वारा दी गई दुकानों की सीमा से बाहर जाकर अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकानें बढ़ा ली हैं। वे सड़क तक अस्थाई शो केस और सामान रखकर दुकान का विस्तार कर लेते हैं और जो व्यापारी विस्तार नहीं किए हुए हैं, वह अपनी दुकान के सामने हाथठेले की दुकाने लगवा लेते हैं। ऐसे व्यापारी, ठेला वालों से हर दिन राशि वसूलते हैं। जिससे सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं बचती है। नगर की यातायात व्यवस्था अब तक नहीं सुधरी है।

बेपटरी हुई यातायात व्यवस्था ने बढ़ाई मुसीबत, हर दिन नगर में लगता है जाम



जहां देखो वहां जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। नगर में अतिक्रमण व अव्यवस्थित यातायात से नगरवासी काफी परेशान हैं।

किसानों और रहवासियों को दिक्कत

सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जनपद पंचायत मार्ग पर रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है इस मार्ग पर सबसे ज्यादा जाम के हालात बनते हैं। क्योंकि इस मार्ग पर कृषि मंडी के कारण आए दिन दर्जनों ट्रक, कंटेनर, किसानों के ट्रैक्टर ट्राली व अन्य वाहन निकलने से जाम लगा रहता है। क्योंकि यह मार्ग पूरी तरह से सिंगल है साथ ही सभी सरकारी विभागों के कार्यालय बने हुए हैं। जिसके कारण अधिकारी और जनप्रतिनिधि के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। **सड़कों में वाहन खड़ा करने में हो रही मनमानी** नगर सिंक्रिज वाड़ी में सड़कों पर वाहन खड़े रहने से मार्ग बाधित

बेपटरी हुई यातायात व्यवस्था ने बढ़ाई मुसीबत, हर दिन नगर में लगता है जाम

से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानी होती है। नगर के भटरिया मार्ग की भी हालत बेहद खराब है। उधर बैकों के सामने तो वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। गौर करने वाली बात ये हैं कि बढ़दाल ट्रैफिक सुधारने के लिए नगर वासी लगातार मांग करते आ रहे हैं, पर जिम्मेदार है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिससे अब लोगों में शासन-प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पलप रहा है।

पुलिस प्रशासन कर रहा बड़े हादसे का इंतजार

पुलिस प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करने से कहीं न कहीं अधिकारी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे तब कहीं जाकर इस ओर ध्यान दिया जाएगा नगर के लोगों का आरोप है कि नगर की सड़कों पर कभी भी पुलिस नजर नहीं आती है ना ही थाना प्रभारी नगर क्षमण पर निकलते हैं जिसके कारण चारों ओर सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमतर गई है और लोग अपनी मनमानी अनुसार सड़कों पर व्यापार है नगर में किसी दिन कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी तब कहीं जाकर पुलिस जागृत करेगी और थाना प्रभारी सहित पुलिस स्टॉफ सड़कों की व्यवस्थाओं को सुधारने लकलेंगे। इस संबंध में जब तेंदूखेड़ा थाना प्रभारी रावेंद बागरी से बात करने के लिए फोन लगाई गई तो उन्होंने रिसीव किया लेकिन जैसे ही नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर बात की तो उन्होंने फोन काट दिया।



जबलपुर, बुधवार 27 मई 2026

login : www.haribhoomi.com

[हटा | जबेरा | पथरिया | तेन्खेड़ा | तेजगढ़ | बटियागढ़ | हिण्डोरिया | बनवार | सिंगपुर | पटेरा | बांदकपुर | नरिसंहगढ़ | हिनौता | कुण्डलपुर]

खास बातें

कल अवकाश घोषित

दमोह। राज्य शासन ने 27 मई 2026 दिन बुधवार को इंदुजुहा के घोषित अवकाश के स्थान पर 28 मई 2026 दिन गुरुवार को निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। अतः 27 मई 2026 दिन बुधवार को निर्धारित समयानुसार समस्त कार्यालय खुले रहेंगे।

जनसुनवाई में 293

आवेदनों पर हुई सुनवाई

दमोह। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 10 (रचारामा) में आयोजित जनसुनवाई में जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आये आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सामान्य जनसुनवाई में 293 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 09 आधार अपडेशन एवं 114 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही जनसुनवाई के दौरान कुछ सामूहिक आवेदन भी दिए गए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, अपर कलेक्टर नीलाक्षराम, डिप्टी कलेक्टर रचना प्रजापति, लोकसेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

अपहृत नाबालिग को जबलपुर से किया दस्तयाब

जबेरा। मध्य प्रदेश पुलिस की जबेरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत नाबालिग बालिका को महज 08 घंटे के भीतर जबलपुर से सफ़ूकाल दस्तयाब कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस सक्रियता की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया तथा एसडीओपी अर्चना अहीर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीम गठित की। पुलिस टीम ने लगातार तलाश एवं तकनीकी सहायता के आधार पर नाबालिग बालिका को जबलपुर से दस्तयाब किया। आवश्यक कथन दर्ज करके के बाद बालिका को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विकास सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक सतीश नामदेव, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र रेकरवार, आरक्षक वीरेंद्र सिंह, आरक्षक विवेक कटारे, महिला आरक्षक अर्पणा पाठक एवं साइबर सेल दमोह टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ



स्वागत किया। भक्ति गीतों और धार्मिक नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु नृत्य करते और अंगनों पर झूमते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिया। कथा आयोजन 26 मई से 1 जून तक प्रतिदिन सांय 5 बजे से श्री जगदीश स्वामी मंदिर पुराना थाना दमोह में आयोजित किया जा रहा है। कथा व्यास किशोरी वैष्णवी गर्वा जी श्री श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, धर्म, भक्ति और मानव जीवन के आदर्शों का वर्णन किया जाएगा। कथा के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। मुख्य यजनजन समस्त भक्त वृंद श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर पुराना तालाब पुराना थाना दमोह।

श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रसंग को सुनाया



नरसिंहगढ़। जिले के नरसिंहगढ़ के पास में इंद्रा कालोनी में चल रही श्री मद भागवत महापुराण की कथा साहू जी के परिवार एवं मुख्य यजमान श्रीमति राजदुलारी किशुन साहू के द्वारा यह भव्य आयोजन कराया जा रहा है। पंचम दिवस के अवसर पर कथा व्यास पूज्य श्री वेदांश कृष्ण शास्त्री जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रसंग को सुनाया और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सात दिन के लाला को मारने के लिए आई हुई पूतना को भी अपनी मैया को जो बहुत वर्षों के बाद गति प्राप्त होती है। वह गति पूतना को प्रदान की। सुंदर कथा का वर्णन करते हुए भगवान माखन चोरी लीला एवं ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया एवं श्री गिरिराज महाराज जी का पूजन समस्त बुजवासियों से करवाया एवं ब्रजवासियों की इंद्र के द्वारा सात दिन तक धुंआधार वर्षा से रक्षा की। कनिष्ठिका का उंगली पर सात दिन तक धारण किया। इसीलिए भगवान का एक और नाम पड़ा श्री गिरिराजधरण महाराज भगवान की बाल लीलाओं को सुनकर समस्त भक्त भावुक एवं आनंदित हुए बड़े भाव के साथ सभी ने गिरिराज जी का पूजन एवं परिक्रमा की, जय श्री राधा रमण सरकार।

पहली बार ऐसी सुनवाई देखने को मिली जो कई मायनों में चर्चा का विषय रही। लोगों ने कहा कि हटा थाना में पहली बार जिला पुलिस अधीक्षक ने थाना में पहुंचकर समस्याएं सुनी जिससे लोगों में उत्साह और भरोसे का माहौल दिखाई दिया। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने लगभग 30 आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को समयबद्ध एवं समाधानकारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस दौरान आवेदिका सरस्वती कुशवाहा शिकायत आवेदन देते हुए गुहार लगाई कि मृतक पति ओमकार दादपुर निवासी कल पिता दुर्जन साहू ने शिकायत करते हुए बताया कि कमता गांव में लाइट बंद होने की शिकायत पर काम करने गए हुए थे जहां पर सुधार कार्य पूर्ण होने उपरांत प्रदीप मिश्रा जो पूर्व से अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने फोन न उठाने की शिकायत पर मेरे साथ मारपीट कर दी। जिसकी गैसाबाद पुलिस द्वारा दो दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई थी लेकिन आरोपी पर गिरफ्तारी नहीं की गई जिससे वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है जिस पर पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी को आरोपी के विरुद्ध बॉड ओवर की



शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। वहीं गैसाबाद थाना क्षेत्र के विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी दादपुर निवासी कल पिता दुर्जन साहू ने शिकायत करते हुए बताया कि कमता गांव में लाइट बंद होने की शिकायत पर काम करने गए हुए थे जहां पर सुधार कार्य पूर्ण होने उपरांत प्रदीप मिश्रा जो पूर्व से अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने फोन न उठाने की शिकायत पर मेरे साथ मारपीट कर दी। जिसकी गैसाबाद पुलिस द्वारा दो दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई थी लेकिन आरोपी पर गिरफ्तारी नहीं की गई जिससे वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है जिस पर पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी को आरोपी के विरुद्ध बॉड ओवर की

आवेदन देते हुए बताया कि अधियारा बगीचा स्थित शराब दुकान के आगे शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास शराबखोरी होती है जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खेल मैदान एवं सड़कों पर शराब की फूटी वातले पड़ी होने से बच्चों को काफी परेशानियां होती है जहां पर लगातार पुलिस गस्त लगाकर शराबियों पर कार्यवाही की जाए ताकि एरिया साफ एवं सुरक्षित रह सके थिस परपज अधीक्षक ने हटा थाना प्रभारी को कार्रवाई करने निर्देशित किया।

जनसुनवाई के उपरांत पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने कहा कि जनसुनवाई में जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हंउक उनका रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है 15 दिवस के भीतर शिकायतों की मॉनीटरिंग की जावेगी एवं अवली माह पुनः हटा में लोगों से मुलाकात कर शिकायतों पर र्वा की जावेगी। जनसुनवाई में उपस्थित लोगों ने पुलिस प्रशासन की इस संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब एसपी थाना में पहुंचकर शिकायत सुनते हुए सीधे संवाद करते हैं, तब लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से संभव हो पाता है और पुलिस के प्रति भरोसा भी मजबूत होता है। पुलिस थाना में जनसुनवाई के दौरान एसडीओपी सौरभ त्रिपाठी, थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी, टीआई अंजली अगिहोत्री सहित पुलिस बल एवं प्रक्राओं की उपस्थिति रही।

प्रत्येक गांवों की जल सप्लाई की हुई समीक्षा 40 समस्याग्रस्त गांवों की हुई पहचान

हरिभूमि न्यूज ►►दमोह

जिले में सुगम पेयजल आपूर्ति और समस्याओं के निराकरण व प्रत्येक परिवार को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने ग्राम पंचायत सचिवों, जल निगम अधिकारियों, पीएचई विभाग, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगर निकायों के सीएमओ के साथ समीक्षा बैठक में सुगम पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे खासतौर पर मौजूद रहे। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। जनसुनवाई एवं भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों में जल संकट और अनियमित जल सप्लाई की समस्याएँ सामने आई थीं, जिसके समाधान के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। बैठक में जिले के प्रत्येक गांव की जल आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। जिन क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याएँ पाई गईं, वहाँ तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संयुक्त टीम बनाकर गांवों का भ्रमण करें तथा आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण करें, ताकि प्रत्येक परिवार को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मिल सके। बैठक में समीक्षा के

दौरान 40 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं, जहाँ जल समस्या गंभीर रूप से उभरकर सामने आई है। इन गांवों में समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तीन दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि मंगलवार से विशेष अभियान चलाकर टीमों गांव-गांव जाकर जल आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण करेंगी और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करेंगी। जल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला पंचायत कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

कलेक्टर श्री यादव ने

कहा जल निगम की कई स्थानों पर

टंकियाँ नहीं भर रही हैं या पर्याप्त

प्रेशर से पानी सप्लाई नहीं हो रहा

है। कई मोहल्लों में अभी भी जल

आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। उन्होंने

अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए

समय-सीमा के भीतर सभी

कमियों को दूर कर हर परिवार

तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की

जाए। कलेक्टर श्री यादव ने

नागरिकों से जल संरक्षण में

सहयोग करने की अपील करते

हुए कहा कि पानी की प्रत्येक बूंद

का महत्व समझें और

आवश्यकता अनुसार ही जल का

उपयोग करें। उन्होंने कहा कि

अनावश्यक जल बर्बादी से अन्य

परिवारों को पानी उपलब्ध होने में

कठिनाई होती है, इसलिए

अतिरिक्त पानी व्यर्थ न बहाएँ।

पटेरा थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न

हरिभूमि न्यूज ►►पटेरा

आगामी ईद उल जुहा त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर मंगलवार को पटेरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार उमेश तिवारी, थाना प्रभारी धर्मेन्द्र गुर्जर नगर के गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि एवं सभी समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि विशेष नमाज परंपरानुसार ईद्गाह में अन्ध की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि ईद उल जुहा के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा चाक-चौबंद इंतजाम किए जाएंगे।



मुख्य मार्गों एवं ईद्गाह के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। साफ-सफाई, पेयजल एवं बिजली की समुचित व्यवस्था के लिए नगर परिषद को निर्देशित किया गया। अधिकारियों ने सभी से आपसी

कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि पटेरा की गंगा-जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए ईद का त्योहार शांति एवं सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर हाजी शमसुद्दीन पहलवान, राजा ताम्रकार, नरेंद्र बजाज, वीरेंद्र ताम्रकार, पुर्णेंद्र सोनी, पं. दयाशंकर चौबे, आनंद सिंह, अरविंद परिहार, बलराम पटेल, बेनी चौरसिया शंकर तंतुवाय, गोविंद चौरसिया, मुकेश गुजरे, उमेश ताम्रकार, रहबर खान, डा सदाकत खान, नगर परिषद से उपयंत्री नितिन, कमलेश नामदेव आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

हरिभूमि न्यूज ►►दमोह

थाना कोतवाली पुलिस ने संजीवनी अस्पताल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टरों की भर्ती कराने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो कारें एवं 5 लाख 36 हजार 900 रुपये नकद जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार, सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक

479/26 एवं 480/26 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित संजीवनी क्लीनिक में स्वयं को योग्य चिकित्सक दर्शाने के लिए फर्जी एमबीबीएस डिग्री, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। मामले में पूर्व में फर्जी डॉक्टर सचिन यादव, राजपाल गौर एवं अजय मोर्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जांच के दौरान पुलिस ने भोपाल निवासी हीरा सिंह

कौशल (44) एवं आदिल सिद्दीकी (37) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक थार वाहन, एक आई-20 कार तथा 5 लाख 36 हजार 900 रुपये नकद बरामद किए हैं। बताया गया कि यह राशि फर्जीवाड़े से अर्जित की गई थी। यह कारवाई पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार एवं उनकी टीम द्वारा की गई। पुलिस अन्य आरोपियों एवं मामले से जुड़े व्यक्तियों की तलाश में जुटी हुई है।

प्रेक्षक ने किया सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण

दमोह।राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक शरद कुमार श्रोति द्वारा अनुभाग कार्यालय दमोह में जनपद पंचायत एवं नगर पालिका की सूची पुनरीक्षण कार्य का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पुनरीक्षण कार्य की प्रगति एवं व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रेक्षक श्री श्रोति द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सूची पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता एवं समय-सीमा के भीतर संपन्न किया जाए, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम, तहसीलदार दमोह पारुल जैन, नगर पालिका सीएमओ राजेन्द्र सिंह लोधी, जनपद बीपीओ एवं लाइजनिंग ऑफिसर प्रकाश गौतम उपस्थित रहे।

वृद्धजनों की सेवा करना सौभाग्य की बात - कलेक्टर

दमोह। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि जिले में कई वृद्धजन पात्र होने के बावजूद पिछले 8 माह से पेंशन लाभ से वंचित थे। ऐसे वृद्धजनों को उनका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा ‘सेवा और आशीर्वाद अभियान प्रारंभ किया गया है, उन्होंने बताया कि अभियान के तहत आधार केंद्र प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी घर-घर जाकर वृद्धजनों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, ताकि पेंशन स्वीकृति में किसी प्रकार की बाधा न रहे। कलेक्टर श्री यादव ने कहा ई-केवाईसी के लिए आधार केंद्र प्रभारियों द्वारा ली जाने वाली फीस का भुगतान

जिला प्रशासन करेगा। किसी भी वृद्धजन से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। उन्होंने बताया कि वृद्धजन वर्तमान में गांव से बाहर हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। उन्हें अपने वर्तमान स्थान से ही ई-केवाईसी कराने अथवा गांव लौटकर प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उनकी पेंशन शीघ्र प्रारंभ की जा सके। कलेक्टर श्री यादव ने बताया अब तक 771 वृद्धजनों की ई-केवाईसी एवं पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। जिले में कुल लगभग 1600 लंबित प्रकरण हैं और प्रशासन शीघ्र सभी पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लक्ष्य

की ओर कार्य कर रहा है। 42 आधार केंद्र प्रभारी और 440 ग्राम पंचायतों में चल रहा अभियान उन्होंने कहा जिले में केवल 42 आधार केंद्र प्रभारी हैं, जबकि 440 ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्य किया जाना है। इसी कारण अभियान को 10 जून तक चलाया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र वृद्धजन तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त होना सभी के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। प्रशासन उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा तथा भविष्य में भी वृद्धजनों को होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।

वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

मान. न्यायालय द्वारा किया 26 हजार रुपये का जुर्माना

हिण्डोरिया। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत भदौरिया एवं एसडीओपी पथरिया सुश्री प्रिया सिंधी के निर्देशन में शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तारतम्य में थाना



हिण्डोरिया के द्वारा थाना क्षेत्र दमोह पटेरा मार्ग पर वाहन चेकिंग की गई । जो दो व्यक्ति पृथक पृथक दो पहिया मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक Mp 22 mj 5190 एवं एक पल्सर गाड़ी बिना नंबर की से शराब पीकर वाहन चलाते पाए गया। जिनका ब्रौथ

एनालाइजर एवं मेडिकल परीक्षण से पुष्टि होने पर थाना हिंडोरिया में शुमार

नंबर क्रमशः 01/26 एवं 02/26 अंतर्गत धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के

तहत पंजीबद्ध कर उक्त दोनों वाहनों को विधिवत जप्त किया गया। एवं

प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किये गया । जो माननीय न्यायालय द्वारा

एक व्यक्ति के विरुद्ध 15500 रुपए एवं 10500 रुपये कुल 26000 रुपए का

जुर्माना आदेश पारित किया गया है ।

